Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 30–2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2020 (PHALGUNA 7, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 26th February, 2020

No. 09-HLA of 2020/21/3726.— The Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 09-HLA of 2020

THE HARYANA GROUP D EMPLOYEES (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Act, 2020. Short title.

2. After sub-section (2) of section 1 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (hereinafter called the principal Act), the following sub-section shall be added, namely:- Amendment of section 1 of Haryana Act 5 of 2018.

"(3) It shall apply to all persons appointed on any Group D post on or after the 28th March, 2018.".

3. In section 2 of the principal Act,- Amendment of section 2 of Haryana Act 5 of 2018.

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

'(a) "appointing authority" means,-

(i) the authority empowered to make appointment to the service of which the Government employee is for the time being a member; or

(ii) the authority empowered to make appointment to the post which the Government employee for the time being holds; or

(iii) the authority which appointed the Government employee to such service, pay structure or post, as the case may be; or

(iv) where the Government employee having been a permanent member of any other service or having held any other post, has been in continuous employment of the Government, the authority which appointed him to that service or to that post whichever authority is the highest authority;';

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

'(b) "appointment" means an appointment of a member of Service in accordance with this Act or any rules for compassionate appointment, applicable at the time of such appointment, as the case may be, who discharges, for the first time, the duties of a post borne on the cadre of such Service or commences the probation, instruction or training prescribed thereof;';

(iii) for clause (n), the following clause shall be substituted, namely:-

'(n) "Service" means a common cadre of Group D posts in the State;'.

Omission of section 12 of Haryana Act 5 of 2018.

4. Section 12 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 15 of Haryana Act 5 of 2018.

5. In section 15 of the principal Act,-

(i) for the sign ":" existing after the first proviso, the sign "." shall be substituted; and

(ii) the second proviso shall be omitted.

Omission of certain sections of Haryana Act 5 of 2018.

6. Sections 16, 17, 18, 19 and 20 of the principal Act shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (Haryana Act No. 5 of 2018) was enacted with an object of providing common conditions of service, minimum age, common minimum qualifications, transparent selection criteria along-with some weightage for socio-economic status, experience and doing away with practice of interviews for recruitment to various Group-D posts.

However, the State of Haryana has faced some difficulties, while interpreting and implementing the provisions of the said Act No. 5 of 2018. In order to mitigate the difficulties, being faced by the State while interpreting the provisions it is necessary to make certain amendments in Act No. 5 of 2018. Accordingly, to achieve the said purpose, the need to amend Haryana Act No. 5 of 2018 has become necessary.

Hence this Bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 26th February, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 09 एच.एल.ए.

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2020

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018,
को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 1 का संशोधन।

2. हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 की उप–धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यह 28 मार्च, 2018 को या के पश्चात् किसी ग्रुप घ के पद पर नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों को लागू होगा।"।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

'(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्राय है,—

(i) सेवा, जिसका सरकारी कर्मचारी तत्समय सदस्य है, में नियुक्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी; या

(ii) पद, जो सरकारी कर्मचारी तत्समय धारण करता है पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी;

(iii) प्राधिकारी जिसने सरकारी कर्मचारी को ऐसी सेवा, वेतन ढांचे या पद, जैसी भी स्थिति हो, पर नियुक्त किया है;

(iv) जहां सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य रहा है या कोई अन्य पद धारण करता है, सरकार के लगातार नियोजन में रहा है, तो प्राधिकारी जिसने उसे उस सेवा में या उस पद पर नियुक्त किया है, जो भी उच्चतम प्राधिकारी है;";

(ii) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ख) "नियुक्ति" से अभिप्राय है, इस अधिनियम या ऐसी नियुक्ति के समय पर लागू अनुकम्पा नियुक्ति के लिए किन्हीं नियमों, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति, जो प्रथम बार ऐसी सेवा के संवर्ग में किसी पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है या उसकी विहित परिवीक्षा, शिक्षा या प्रशिक्षण प्रारम्भ होता है ;

(iii) खण्ड (ढ) के साथ पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ढ) "सेवा" से अभिप्राय है, राज्य में ग्रुप घ पदों का कोई सामान्य संवर्ग;'।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 12 का लोप।

4. मूल अधिनियम की धारा 12 का लोप कर दिया जाएगा।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 15 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

(i) विद्यमान प्रथम परन्तुक के बाद ":" चिह्न के स्थान पर, "।" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) द्वितीय परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की कतिपय धाराओं का लोप।

6. मूल अधिनियम की धारा 16,17,18,19 तथा 20 का लोप कर दिया जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

विभिन्न ग्रुप घ पदों पर भर्ती के लिए एकरूप सेवा की शर्तें, न्यूनतम आयु, एकरूप न्यूनतम योग्यता, पारदर्शी चयन मानदंड के साथ–2 आर्थिक सामाजिक स्थिति, अनुभव को महत्व देते हुए और साक्षात्कारों को दूर करते हुए हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5) बनाया गया था।

उक्त 2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5 के प्रावधानों को विवेचन तथा लागू करते समय हरियाणा राज्य द्वारा कुछ कठिनाईयों का समाना करना पड़ा। राज्य द्वारा प्रावधानों का विवेचन करते समय जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, उन कठिनाईयों को दूर करने के लिए, 2018 के हरियाणा अधिनियम संख्या 5 में कुछ संशोधन करना आवश्यक है। तदानुसार उक्त प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए 2018 के हरियाणा अधिनियम संख्या 5 को संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

इसलिए यह बिल।

मनोहर लाल,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 26 फरवरी, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।

8708—H.V.S.—H.G.P. Pkl.